<u>निविदा का मूल्य रू0 500.00</u>

अल्पकालीन निविदा शर्ते

1. फर्म का नाम :–

2. फर्म का टिन नं0 :–

3. फर्म का पैन नं0 :–

4. प्रत्येक फर्म को भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि के रूप में रू0 10,000 (रूपया दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के नाम का संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे निविदा फार्म निरस्त कर दिये जायेंगे।

6. निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

7. निविदा की अवधि एक वर्ष तक मान्य रहेगी, जिसे आगे आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता है।

8. फर्म को कम से कम एक सरकारी कार्यालय/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कम से कम एक वर्ष कार्य करने का अनुभव एवं संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।

9. फर्म के पास निजी टेलीफोन/मोबाईल आदि संचार माध्यमों का उपलब्ध होना आवश्यक होगा।

10. अल्पकालीन निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक कार्यालय से निर्धारित धनराशि उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के खाता सं0 **2408010100027867**, **I.F.S.C.** कोड **PUNB 0619400**, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मण्डी परिषद में जमा कर यू0टी0आर0 नम्बर के साथ दिनांक **06-6-2017** तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा के सम्बन्ध में शर्तें परिषद की बेवसाइट **www upcaronline.org** पर उपलब्ध है।

11. निविदायें दिनॉक 07–6–2017 को अपरान्ह् 3.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह् 3.30 बजे खोली जायेगी।

12. बिना कोई कारण बताये, कोई भी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को होगा।

उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद

अष्टम् तल, किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र (**Tender Form**)

किराये के रूप में परिषद द्वारा वाहन मंगवाने पर निम्नवत् दरों पर किराया देय होगा।

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर
1.	ए0सी0 इन्डिगो 200 कि0 मी0 प्रतिदिन	
	200 कि0 मी0 के उपरान्त अतिरिक्त प्रति कि0मी0	
	रात्रि 10.00 बजे के उपरान्त नाईट चार्ज	
1.	ए0सी0 इनोवा 200 कि0 मी0 प्रतिदिन	
	200 कि0 मी0 के उपरान्त अतिरिक्त प्रति कि0मी0	
	रात्रि 10.00 बजे के उपरान्त नाईट चार्ज	
3.	ए0सी0 इन्डिगो मन्थली बेसिस 2000 कि0मी0 प्रतिमाह	
	2000 कि0 मी0 के उपरान्त अतिरिक्त प्रति कि0मी0	
	रात्रि 10.00 बजे के उपरान्त नाईट चार्ज	
4	ए0सी0 इनोवा मन्थली बेसिस 2000 कि0मी0 प्रतिमाह	
	2000 कि0 मी0 के उपरान्त अतिरिक्त प्रति कि0मी0	
	रात्रि 10.00 बजे के उपरान्त नाईट चार्ज	
5.	20 सीटर बस (टैम्पो ट्रेवलर) 200 कि0मी0 प्रतिदिन	
	200 कि0 मी0 के उपरान्त अतिरिक्त प्रति कि0मी0	
	रात्रि 10.00 बजे के उपरान्त नाईट चार्ज	

वाहन किराये पर लेने पर परिषद की शर्ते निम्नवत् होगीः—

1. दैनिक आधार पर वाहन मंगाने पर समय और दूरी गैराज से गैराज तक मानी जायेगी, लेकिन यह दूरी किसी भी दशा में एक तरफ से 5 कि0मी0 से अधिक मान्य न होगी तथा वाहन गैराज से परिषद पहुंचने एवं वापस जाने हेतु 15—15 मिनट का समय मान्य होगा।

2. टोल टैक्स, पार्किंग व्यय एवं टैक्स नियमानुसार कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

3 परिषद अधिकारियों के निर्देशित समय एवं स्थान पर फर्म वाहन उपलब्ध करायेगी। निर्धारित समय से वाहन उपलब्ध न होने पर रू0 50.00 प्रति घण्टें की दर वाहन मालिक द्वारा अर्थदण्ड देय होगा।

4 फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिषद को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का माडल अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, एवं 25000 कि0मी0 से अधिक चला न हो। प्रेषित वाहन अच्छी दशा में होनी चाहिए तथा लॉक आदि ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हों।

5 फर्म द्वारा यदि एक वाहन के लिए निविदा हो तो दो वाहन यदि दो वाहन के लिए हो तो तीन वाहन फर्म के स्वयं के होने चाहिए।

6 गैस चालित वाहन स्वीकार्य नहीं होगें, और न ही उनकी निविदा पर कोई विचार किया जायेगा।

7 वाहन चालक साक्षर एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए।

8 यह कि किसी समय अनुबन्धित वाहन खराब होने के कारण उपलब्ध न कर पाने पर वाहन अनुबन्धक उसके स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त वाहन की व्यवस्था करके निश्चित समय पर परिषद को वाहन उपलब्ध करायेंगे। यदि वह अन्य वाहन का प्रबन्ध नहीं करते हैं तो संस्थान द्वारा वाहन का प्रबन्ध प्रचलित बाजार दर पर कर लिया जायेगा। तथा उस वाहन पर हुआ अतिरिक्त व्यय अनुबन्धक द्वारा देय होगा।

9 यह कि अनुबन्धक यदि अनुबन्धकाल समाप्त होने से पूर्व वाहन नहीं चलाना चाहता है अथवा अनुबन्ध समाप्त कराना चाहता है तो इसकी सूचना लिखित रूप से कम से कम तीन माह पूर्व परिषद कार्यालय में देनी होगी, अन्यथा फर्म की धरोहर धनराशि परिषद द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

10 यह कि अनुबन्ध करने पर फर्म को रू0 10,000/—(रूपया दस हजार) सिक्योरिटी के रूप में परिषद में जमा करना होगा। यह धनराशि अनुबन्ध समाप्त होने के एक माह पश्चात ही फर्म को वापस हो सकती है।

11 किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अथवा कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबन्धित समय में भी वाहन को हटाने का पूर्ण अधिकार सचिव, उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को होगा।

12 एजेन्सी से आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

13 ईन्धन मोबिल आयल, ब्रेक आयल, कूलेन्ट इत्यादि वाहन सम्बन्धी सभी व्यय वाहन मालिक द्वारा

स्वयं वहन किये जायेंगे।

14 यह कि किन्ही कारणों से अनुबन्धित वाहन अपने सुनिश्चित कार्य पर जाने में असमर्थ होती है तो उसकी सूचना अनुबन्धक को परिषद कार्यालय में निर्धारित समय से 24 घण्टे पूर्व देनी होगी, जो अनुमति मिलने पर ही मान्य होगा, यदि अनुबन्धक ऐसा नहीं किया तो उसकी जगह दूसरे वाहन को किराये पर ले लिया जायेगा, जिसका समायोजन अनुबन्धक के बिल से कर लिया जायेगा। तथा इस परिप्रेक्ष्य अनुबन्धक को रू0 500/– तक का आर्थिक दण्ड भी दिया जा सकता है।

15 यह कि मासिक आधार पर परिषद द्वारा लिये गये वाहन की ड्यूटी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर प्रातः 8,00 बजे रात्रि 8,00 बजे तक के लिए होगी। अपरिहार्य कारण से यदि देर होती है तो इसका कोई नाईट चार्जेज या अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

16 यह कि मासिक आधार पर (मन्थली बेसिस) लिये गये वाहन की लॉगबुक वाहन के साथ वाहन चालक रखेंगे, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी स्वयं प्रतिदिन गाड़ी चलने का समय आने तथा जाने का माईलोमीटर रीडिंग/कुल चलवाई गयी दूरी (कि0मी0) भ्रमण किये गये स्थान आदि को सत्यापित करेगा। बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय इस लॉगबुक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी भुगतान सम्भव हो सकेगा।

17 यह कि किराये पर लिये गये वाहन का प्रयोग सामान्य रूप से परिषद कार्य क्षेत्र (सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश) में अधिकारियों द्वारा भ्रमण हेतु उपयोग किया जायेगा।

18 टेण्डर की दरें एक वर्ष के लिए मान्य होंगी तथा टेण्डर अवधि में पेट्रोल आयल, ल्युब्रीकेन्ट्स की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप एवं अन्य किसी कारण से वाहन किराये की दरें पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

19 मासिक आधार पर ली गयी गाड़ियों का उपयोग वाहन मालिक द्वारा नहीं किया जायेगा।

20 मन्थली बेसिस पर हायर की गयी वाहन को विशेष परिस्थितियों में परिषद द्वारा किसी भी अवकाश अवधि में वाहन की मांग की जा सकती है।

21 यह कि उक्त शर्तों में से भी एक शर्त को भंग किये जाने पर सचिव, उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।